



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431]
No. 431]नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 2005/आश्विन 25, 1927
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2005/ASVINA 25, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2005

1/2005-स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.नि. 633(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी द्रव्य अधिनियम, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पहली अक्टूबर, 2005 को आरंभ होने वाले और 30 सितम्बर, 2006 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तें अधिसूचित करती हैं:-

प्रस्तावना

भारत सरकार (जिसे इसके बाद सरकार कहा गया है)

अफीम के अनिवार्य औषधीय उपयोग पर विचार करते हुए,

स्वापकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कच्ची सामग्री के एक मात्र वैध आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को समझते हुए, और

औषध के अवैध व्यापार और औषध के दुरुपयोग की रोकथाम करने और उसका सामना करने की आवश्यकता के प्रति सजगता दर्शाते हुए,

एतद्वारा फसल वर्ष 2005-2006 के लिए अफीम की खेती के लिए लाइसेंस मंजूर करने हेतु निम्नलिखित सामान्य शर्तें निर्धारित करती हैं:-

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

2. कृषि हेतु पात्रता

(क) केवल वही किसान, जिन्होंने मध्यप्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में औसतन कम से कम 54 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 48 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की अर्हक उपज साँपी है, लाइसेंस के पात्र होंगे।

(ख) उपर्युक्त मानदंड निम्नलिखित श्रेणियों के किसानों पर लागू नहीं होंगे :-

(i) जिन्होंने इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार सरकारी देख-रेख में फसल वर्ष 2004-2005 के

दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त की फसल को नष्ट किया हो। तथापि यह खंड उन पर लागू नहीं होगा जिन्होंने वर्ष 2003-04 के दौरान भी अपनी सम्पूर्ण पोस्त फसल को नष्ट कर दिया था।

(ii) जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2004-2005 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो, अथवा

(iii) जिन्होंने फसल वर्ष 2002-03 अथवा किसी परवर्ती वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश पोस्त की खेती न की हो।

(IV) बारां जिले की छबरा तहसील तथा झालावाड़ जिले की अकलेरा तहसील के कृषकों द्वारा सौंपी जाने वाली न्यूनतम अर्हक उपज (एम क्यू वाई) 70 डिग्री गाढ़ेपन पर 25 कि.ग्रा.प्रति हैक्टेयर होगी। बारां जिले की छीपाबड़ोद तहसील के कृषकों द्वारा सौंपी जाने वाली न्यूनतम अर्हक उपज (एम क्यू वाई) 70 डिग्री गाढ़ेपन पर 20 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर होगी तथा झालावाड़ जिले की मनोहरथाना तहसील के कृषकों के लिए यह 70 डिग्री गाढ़ेपन पर 15 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर होगी। उपर्युक्त उल्लिखित निम्नतर प्रति हैक्टेयर न्यूनतम अर्हक उपज केवल उपर्युक्त उल्लिखित तहसीलों में ही लागू होगी और निम्नतर अर्हक उपज का लाभ राजस्थान के उन अन्य तहसीलों/जिलों के संबंध में लागू नहीं होगा जहां फसल वर्ष 2004-05 में पोस्त की खेती की गई थी।

3. लाइसेंस की शर्तें

(क) किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो :-

(i) उसने फसल वर्ष 2004-2005 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो,

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया गया हो,

(iii) फसल वर्ष 2004-2005 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो अथवा सरकार को अफीम देने से पहले/दते समय उसके द्वारा प्राप्त अफीम में कोई मिलावट न की हो। राजकीय अफीम फैक्ट्री नीमच/गाजीपुर द्वारा घटिया के रूप में वर्गीकृत अफीम को मिलावटी अफीम माना जाएगा।

(iv) जिन किसानों ने फसल वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसी अफीम सौंपी हो जिसका गाढ़ापन 55 डिग्री से कम पाया गया हो तो उन किसानों को फसल वर्ष 2005-06 के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

4. अधिकतम क्षेत्र

(i) सभी पात्र किसानों को 10 आरी के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। तथापि, किसान अपनी क्षमता और पानी की उपलब्धता के अनुसार लाइसेंसशुदा क्षेत्र से कम किसी भी क्षेत्र में खेती कर सकते हैं।

(ii) कोई भी किसान अधिकतम दो भूखंडों में अफीम पोस्त बो सकता है।

(iii) ऊपर बताई गई बातों के बावजूद, सरकार अफीम की खेती करने वालों राज्यों में अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए कृषि अनुसंधान संस्थानों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों को 10 आरी से अधिक क्षेत्र की अनुमति दे सकती है।

5. माफी योग्य सीमा

अतिरिक्त खेती के संबंध में माफी योग्य सीमा लाइसेंसशुदा क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

6. पूर्व चेतावनी

- (i) अनुवर्ती फसल वर्ष अर्थात् 2006-2007 में अफीम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु फसल वर्ष 2005-2006 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रति हेक्टेयर 56 किलोग्राम और उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 49 किलोग्राम की न्यूनतम अर्हक उपज अवश्य सौंपी जानी चाहिए।
- (ii) ऐसे कृषक जिन्होंने 2004-05 के दौरान पोस्त की फसल नष्ट की हो, वे फसल वर्ष 2006-07 में लाइसेंस के पात्र उस स्थिति में नहीं होंगे, यदि उन्होंने वर्ष 2005-06 में भी अपनी फसल को पूरी तरह से उखड़वा दिया हो।
- (iii) ऐसे किसान अगले फसल वर्ष 2006-07 में लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे जिनकी फसल वर्ष 2005-06 की अफीम में पानी की मिलावट पाई गई हो तथा उसका गाढ़ापन 55 डिग्री से कम पाया गया हो।
- (iv) ऐसे किसान जिनकी फसल वर्ष 2005-06 की अफीम मिलावटी पाई जाती है तथा जिसे राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच तथा गाजीपुर द्वारा घटिया के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, वे अगले फसल वर्ष 2006-07 में लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे।

7. विविध:-

- (i) इन अनुदेशों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को उस स्थिति में कोई क्षति नहीं पहुंचती जब कभी स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी द्रव्य अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए।
- (ii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किये जाने वाले संयुक्त वैध अफीम पोस्त सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ अधिगृहित किया जा सकता है। जिस किसान के खेतों को सं.व.अ.पो.स. के लिए चुना जाएगा उसका अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते उसने अगले वर्ष के दौरान निर्धारित उपज प्रस्तुत की हो, यदि वह अन्यथा पात्र हो। संयुक्त वैध अफीम पोस्त सर्वेक्षण हेतु चुने गए क्षेत्र को उपज की गणना करते समय लेखे में नहीं लिया जाएगा।
- (iii) लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है। जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के पात्र होंगे।
- (iv) ऊपर वर्णित अफीम की मात्रा की गणना राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच तथा गाजीपुर में किए गए विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री गाढ़ापन पर की जाएगी।
- (v) ऊपर वर्णित किस भी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी भी गांव में अफीम की खेती की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पात्र किसानों की संख्या 5 अथवा इससे कम हो। तथापि, ऐसे गांवों के संबंध में, जहां कहीं संभव हो, प्रभावित किसानों को उन पड़ोसी गांवों में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया जाएगा जहां अफीम की खेती करने की अनुमति है।

[सं. 1/2005 फा. सं. 616/1/2005-स्वापक नियंत्रण-1]

रोहताश सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2005

1/2005-Narcotics Control-I

G.S.R. 633(E).— In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of licence specified below for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium Crop Year commencing on the 1st day of October, 2005 and ending with the 30th day of September, 2006.

Preamble

The Government of India (hereinafter referred to as the Government)
CONSIDERING the indispensable medicinal use of opium;
RECOGNISING its role as the sole licit supplier of this raw material to meet requirements of opiates; and being
CONSCIOUS of the necessity to prevent and combat drug trafficking and drug abuse;
HEREBY lays down the following general conditions for grant of licenses for opium cultivation for the crop year 2005-06.

1. Place of Cultivation

Poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. Eligibility for Cultivation

(a) Cultivators who have tendered an average yield of opium of not less than 54 kgs/hectare in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan and an average yield of opium of not less than 48 kgs/hectare in Uttar Pradesh shall alone be eligible for licence.

(b) The above-mentioned criterion shall not be applicable to the cultivators of the following categories:

(i) Who ploughed back their entire poppy cultivation during 2004-05 crop year under supervision of the Government in accordance with the provisions in this regard. However, the above clause will not be applicable in respect of those cultivators who had fully ploughed back their entire poppy crop during 2003-04 also.

(ii) Whose appeal against refusal of License has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2004-05; or

(iii) Cultivators who cultivated poppy in the crop year 2002-03 or any subsequent crop year and were eligible for license in the following year, but did not voluntarily obtain the license for any reason, or who after having obtained license for the following crop year, did not actually cultivate poppy due to any reason

(iv) The Minimum Qualifying Yield (MQY) to be tendered by cultivators in Chhabra Tehsil of Baran District and Aklera Tehsil of Jhalawar District would be 25 kg per hectare at 70° C. The Minimum Qualifying Yield (MQY) to be tendered by cultivators in Chipabarod Tehsil of Baran District would be 20 kg per hectare at 70° C and in respect of Manoharthana Tehsil of Jhalawar District would be 15 kg per hectare at 70° C. The

lower MQY per hectare as indicated above, would only be applicable in the above referred tehsils and the benefit of lower qualifying yield would not be applicable in respect of other tehsils / districts in Rajasthan where poppy had been cultivated during the crop year 2004-05.

3. Conditions of Licence

(a) No cultivator shall be granted licence unless he/she satisfies that:

- (i) He/She did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2004-05;
- (ii) He/She did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder; and
- (iii) He/She did not during the crop year 2004-05 violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/Narcotics Commissioner to the cultivators or did not adulterate the opium procured by him/her before/while tendering the opium to the Government. The opium classified as inferior by the Government Opium Factories, Neemuch/Ghazipur will be treated as adulterated.
- (iv) Cultivators who had tendered opium poppy during the crop year 2004-05 which has been found to be of a consistency lower than 55 degree will be debarred from licence for the crop year 2005-06.

4. Maximum Area

- (i) All eligible cultivators will be issued licence for 10 Ares. However, cultivators can cultivate in any area less than the licensed area according to their capability and availability of water.
- (ii) A cultivator can sow opium poppy in not more than two plots.
- (iii) Notwithstanding anything stated above, the Government may allow an area more than 10 Ares to any Agricultural Research Institutes or Agriculture University in opium growing States for research purposes.

5. Condonable Limit

The condonable limit in respect of excess cultivation shall not exceed 5% of the licensed area.

6. Forewarning

- (i) A Minimum Qualifying Yield of 56 kg/hectare in Madhya Pradesh and Rajasthan and 49 Kg/hectare in Uttar Pradesh must be tendered during the crop year 2005-06 to become eligible for opium licence in the following year i.e. 2006-07.
- (ii) Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy during crop year 2004-05 would not be entitled for licence in the crop year 2006-07, if they also uproot their crop fully in the crop year 2005-06.
- (iii) Cultivators, whose opium for the crop year 2005-06 is found to be 'water mixed' and of consistency lower than 55 degree will not be eligible for licence in the next crop year 2006-07.
- (iv) Cultivators whose opium for the crop year 2005-06 is found to be 'adulterated' and classified as 'inferior' by the Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch or Ghazipur will not be eligible for licence in the next crop year 2006-07.

306242/05-2

-278-

7. Miscellaneous

(i) These instructions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a license whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder

(ii) The license will be subject to the condition that any field may be taken over for Joint Licit Opium Poppy Survey (JLOPS) that may be conducted by the Government or by the Government in collaboration with any specialized Institution or Agency. The cultivator whose field is selected for Joint Licit Opium Poppy Survey shall be considered for license for the next year provided he has tendered the stipulated MQY for the following year, if otherwise eligible. The area selected for JLOPS experiments will not be taken into account while calculating yield.

(iii) The licence shall be subject to the further condition that any field may be selected for obtaining poppy straw without extraction of opium. The cultivators whose fields are selected for such use shall be eligible for licence for the next crop year, if otherwise eligible.

(iv) The quantity of opium mentioned above will be calculated at 70 degree consistency, on the basis of analysis at Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch and Ghazipur.

(v) Notwithstanding anything stated above, opium cultivation will not be allowed in all such villages where the number of eligible cultivators is 5 or less. However in respect of such villages, wherever possible, the affected cultivators will be given option to shift to such neighbouring village where opium cultivation is permitted.

[No. 1/2005 F. No. 616/1/2005-NARCOTICS CONTROL-I]
ROHTASH SINGH, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2005/अग्रहायण 2, 1927

No. 475]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2005/AGRAHAYANA 2, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2005

3/2005-स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 683(अ).—दिनांक 17-10-2005 के सा.का.नि. 633(अ) के जरिए मंत्रालय की अधिसूचना की हिन्दी प्रति की मद सं. 4(i) की दूसरी पंक्ति में "लाइसेंसशुदा क्षेत्र से कम किसी भी क्षेत्र में खेती कर सकते हैं" शब्दों को "लाइसेंसशुदा क्षेत्र से कम क्षेत्र में खेती कर सकते हैं" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं. 3/2005-फा. सं. 616/1/2005-स्वापक नियंत्रण-1]

रोहताश सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd November, 2005

3/2005-Narcotics Control-1

G.S.R. 683(E).—In the second line of item No. 4(i) of Hindi version of Ministry's Notification vide G.S.R. 633(E) dated 17-10-2005, the words "लाइसेंसशुदा क्षेत्र से कम किसी भी क्षेत्र में खेती कर सकते हैं," may be substituted by "लाइसेंसशुदा क्षेत्र से कम क्षेत्र में खेती कर सकते हैं,"।

[No. 3/2005- F.No. 616/1/2005-NARCOTICS CONTROL-1]

ROHTASH SINGH, Under Secy.